न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 18/2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हरजीराम पुत्र लाखाराम जाति रबारी निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी		1. जामताराम पुत्र गुमनाराम जाति रबारी निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी तहसीलदार सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 19.02.2026

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 3.9965 हैक्टेयर ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 317 रकबा 7.3943 हैक्टयर ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा के खसरा नम्बर 317 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से वकील उपस्थित। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 3.9965 हैक्टेयर ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 317 रकबा 7.3943 हैक्टयर ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र जुनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स. 1 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4. इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के सन्दर्भ में अपनी मौखिक बहस के तथ्यों में कथन किया कि विप्रार्थी के खातेदारी खेत से लगते हुए खसरा संख्या 326 से सड़क मार्ग तक की कम दूरी होने से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

5.विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपने खातेदारी के खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 317 रकबा 7.3943 हैक्टयर ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2025 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 74/16.01.2026 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 317 रकबा 7.3943 हैक्टयर ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है,इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। ऐसी सूरत में तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 317 रकबा 7.3943 हैक्टयर में लम्बाई

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

140 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0840 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि मौजा पायला खुर्द की डी.एल.सी. दर सिंचित सड़क के पास राशि–335000/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम पायला खुर्द की कुल क्षेत्रफल 0.0840 हैक्टयर की कुल राशि– 56300/– अक्षरे छप्पन हजार तीन सौ रूपयें मात्र विप्रार्थीगण को राशि दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

7.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पायला खुर्द के खेत खसरा संख्या 317 रकबा 7.3943 हैक्टयर में लम्बाई 140 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0840 हैक्टयर भूमि की कुल राशि–56300/– अक्षरे छप्पन हजार तीन सौ रूपयें मात्र का भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर –––दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–56300/– अक्षरे छप्पन हजार तीन सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान विप्रार्थी पक्ष को खसरान वाईज उनके हिस्सेनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./2026/74 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.02.2026 को लिखा जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी